कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री मनीराम पुत्र श्री राम राज, लोहरा, पोस्ट-सुकृत, सोनभद्र ।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**10 / 09, 05.02.2009**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री मनीराम पुत्र श्री राम राज, लोहरा, पोस्ट-सुकृत, सोनभद्र द्वारा दिनांक 05.02.2009 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा सोलिंग गिट्टी पर, कर की दर पूछी गयी है ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 07.08.2013 के लिए नोटिस भेजी गई । उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । एक लिखित उत्तर दिनांक 28.08.2010 को दिया, जिसमें कहा गया कि प्रार्थी स्वयं: अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि को भेजने में असमर्थ हैं अत: सोलिंग गिट्टी पर, कर की दर क्या होगी, इसकी जानकारी उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

3. उपरोक्त संदर्भ में डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-1, सोनभद्र द्वारा पत्र संख्या-156, दिनांक 22.08.2013 द्वारा प्रेषित आख्या के अनुसार प्रार्थी-व्यापारी ने द्वितीय त्रैमास एवं तृतीय त्रैमास के नक्शे (रूपपत्र-24) क्रमश: दिनांक 07.11.2008 एवं 04.01.2009 को जमा कर दिये हैं तथा वर्ष 2008-09 का कर निर्धारण भी हो चुका है ।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में यह प्राविधानित है कि '' यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, '' तभी वह विनिश्चय के लिए ग्रहण किया जायेगा । प्रश्नगत मामले में प्रार्थी द्वारा द्वितीय व तृतीय त्रैमास का नक्शा कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । ऐसी स्थिति में धारा-59 (1) के प्राविधान के अनुसार प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-1, सोनभद्र द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया । पाया गया कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में यह प्राविधानित है कि '' यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, '' तभी वह विनिश्चय के लिए ग्रहण किया जायेगा । प्रार्थी द्वारा द्वितीय व तृतीय त्रैमास का नक्शा कर निर्धारण प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के कारण, उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के प्राविधान के अनुसार प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है, जिसे अस्वीकार किया जाता है ।

.....2

<u>सर्वश्री मनीराम पुत्र श्री राम राज / प्रा0 पत्र सं0-10 / 09 / धारा-59 / पृष्ठ-2</u>

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 12 सितम्बर, 2013

ह0 / 12.09.2013

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।